

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

मदालत उपखण्ड अधिकारी सेइया व मुकाम सेइया

राइया.....बनाम.....आपुनात राइया.....

किस्म मुकदमा.....राइया आइया.....मुकदमा नम्बर.....14-6...../2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/5/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री.....मुकेश कुमार.....यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा.....आदेश 9.....नियम 4.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....10/06/24.....को पेश हो।</p>	
10/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीटाप्पीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त हैं, मिसल इल्लतबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18/6/24 को पेश हो।</p>	
19/06/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची अणु। मुक्ति आर्चना पत्र वाले पुनः वरामद करने राजस्व वाद क्र. 40/23 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC को पुनः वरामद कर दिया गया है जो इस आर्चना पत्र वाले पुनः वरामद करने राजस्व आवेदन क्र. 82/23 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC को पुनः वरामद करने के आदेश दिए जा रहे हैं। पत्रावली फ्रैमल सुमार रीउर करिबल पत्रर हो।</p>	